



# छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(ISO 9001:2008 Certified)

प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र-01, तेलीबांधा, रायपुर 492006 (छत्तीसगढ़)

CIN : U45203CG1981SG001853, PAN : AABCMI6288N, SI Regn. No. : AABCMI6288NSD004

दूरभाष : कार्यालय- 0771-6002071, 72, 73, फैक्स- 0771-2583794

Website: www.csidc.in, Email address: csidc\_raipur@yahoo.com, csidc.cg@nic.in

## मेनुअल पद्धति अल्पकालीन निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

निविदा क्रमांक-36/सीएसआईडीसी/का.अ./संभाग-2/2016-17

रायपुर, दिनांक 22/11/2016

मुहरबंद निविदाएं फार्म "ब" (आईटम दर) पर छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत पंजीयन प्रणाली ई-पंजीयन के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु दिनांक 03/12/2016, अपराह्न 3.00 बजे तक कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, संभाग-02, द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र-01, तेलीबांधा, रायपुर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी :-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी	दर अनुसूची (एस.ओ.आर)
1.	उद्योग भवन के द्वितीय तल में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के कार्यालय के एक कक्ष में ग्लास पार्टिशन का कार्य।	रु. 3.08 लाख	रु. 3100/-	रु.300/-	02 माह (वर्षाऋतु सहित)	'द' वर्ग एवं इससे ऊपर	आईटम दर

### शर्तें :-

- कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्यपालन अभियंता संभाग-2 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य, नगद मुख्यालय उद्योग भवन, प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.-01, तेलीबांधा, रायपुर में भुगतान दिनांक 02/12/2016, अपराह्न 4.00 बजे तक कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, संभाग-02, सीएसआईडीसी उद्योग भवन द्वितीय तल, रिंग रोड क्रमांक-01, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा आवेदन के साथ जीवित पंजीयन, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक कर पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, सर्विस टेक्स पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का समयावधि जमा रसीद जो कि प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी रायपुर के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- निविदा स्वीकृति उपरांत संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से प्राप्त कार्य का पंजीयन कराने के पश्चात ही कार्यादेश जारी किया जावेगा साथ ही भवन एवं संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3(1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (construction Work) पर 1% उपकर (शेष) देय होगा देयकों के भुगतान में से उक्त राशि काटी जावेगी।
- निविदायें निगम की निविदा पेट्री में डालनी होगी। डाक द्वारा प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- निगम के द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड के अनुसार ही निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
- निविदा प्रकाशन में टंकन आदि की त्रुटि होने पर मूल अभिलेख ही मान्य होंगे।

कार्यपालन अभियंता  
(संभाग-02)